न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	
	ढाणी से [illegible] को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से दिनांक 19.12.2023 को क्रय किया जाना प्रमाणित होता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाकर नन्छी देवी पत्नी कालूराम जाति अहीर निवासी बुजों की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर को उक्त वादपत्र में प्रतिवादी संख्या–15 प्रतिस्थापित किया जाता है। वास्ते पेश होने सशोधित शीर्षक वादपत्र व पेश होने सम्मन तलबाना बाबत तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे पत्रावली दिनांक 05.03.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
27.02.2025	वकील वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 05.03.2025 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी ने वादपत्र को विड्रा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर अंकित करवाए गए। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र विड्रा करने बाबत का पेश कर निवेदन किया है कि अब वादी वादपत्र को चलाना नहीं चाहते है। वादपत्र को खारिज करना चाहते है। जस पर वकील प्रतिवादी को सुचित किया जाकर सुना गया। वकील वादी के निवेदन व वकील प्रतिवादी की सहमति के आधार पर उक्त वादपत्र को विड्रा करने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:56:07 IST
Reason: SelfAttested